



#2022/90

फर्द अहकाम

श्रीमती ममता देवी बनाम आनन्दा वगै०

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 63/2022 वाद बटवारा स्थाई निवेदाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188,आर टी एक्ट

नांक आज्ञा या पर्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/7/22	<p>वादीया की ओर से यह वाद पत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट ने पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक ...17-8-22 को पेश हों ।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)</p>	
17/8/22	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित / प्रतिभाषक सह द्वारा स्थायिक कार्य स्वामित रखा P.O. साहब ... अंमति है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 21/9/22 को पेश हों।</p>	
24/9/22	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित / प्रतिभाषक सह द्वारा स्थायिक कार्य स्वामित रखा P.O. साहब ... अंमति है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 2-11-22 को पेश हों।</p>	
24-11-22	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित / प्रतिभाषक सह द्वारा स्थायिक कार्य स्वामित रखा P.O. साहब ... अंमति है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 7-12-22 को पेश हों।</p>	
7-12-22	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित / प्रतिभाषक सह द्वारा स्थायिक कार्य स्वामित रखा P.O. साहब ... अंमति है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 11-1-23 को पेश हों।</p>	
11/1/23	<p>पणावली पेश हुई। पक्षीय वकील/वादीया उपर नवी। मजान पनावली गई। धार-धार कावाज लगाते पर कोई डफर नही। अतः दावा अदम्य धारिनी। काउन्सिली में खर्चा किया जाना वी पणावली फैलाने सुभाह लेकट मजान से कर हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज</p>	